सविनय अवज्ञा आन्दोलन में बिहार के अभिजात वर्ग की भूमिका

डॉ. राघव कुमार*

1927 के उतरार्ध में आकर साम्राज्यवाद विरोधी–उभार में उफान के साफ लक्षण दिखाई पड़ने लगे। ब्रिटिश सरकार ने मांटेक्यू–चेम्सर्फोड सुधार के कार्यो की जाँच के लिए 8 नवम्बर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। इसमें कुल सात सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। देशवासियों ने इस कमीशन का विरोध इस निमित्त किया कि भारत के भावी संविधान के निर्माण और उसमें एक भी भारतीय का नहीं होना, यह पूर्णतः विवेकहीन और अप्राकृतिक था। देश के सभी राजनैतिक दल सरकार की इस घोषणा को अत्यन्त ही निराशाजनक करार देते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया।[1]

वर्ष 1928 के प्रारम्भ में भारत के राजनैतिक वातावरण में उबाल–सा आ गया, क्योंकि साइमन कमीशन की नियुक्ति सरकार ने कर दी थी। देशवासियों का एकमात्र कार्य उस स्थिति में साइमन कमीशन का बहिष्कार करना रह गया था। 3 फरवरी, 1928 को साइमन कमीशन के बम्बई पहुँचने पर पूरे देश में पूर्णतः हड़ताल रखा गया, उसके विरूद्ध विशाल प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी काला बैज और काले झण्डे के साथ 'साइमन वापस जाओ' का नारा लिखे बैनर को लेकर जगह–जगह जुलूस निकाले। लाहौर में श्री लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरोध में विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पुलिस ने भीड़ को तितर–बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। लाजपत राय पर अनगिनत लाठियाँ बरसाई, जिसके फलस्वरूप लाजपत राय की मृत्यु हो गई।

बिहार में 12 दिसम्बर को साइमन कमीशन के आने का दिन तय था। लाजपत राय पर लाठी–प्रहार हुआ। 17 नवम्बर को उसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। इसने बिहार के लोगों में काफी रोष ला दिया था। 'साइमन वापस जाओ' तथा 'लालाजी की मृत्यु का बदला लेंगे' इत्यादि नारा बिहार में काफी लोकप्रिय हो गया था। पटना युवक सम्मेलन में मुहम्मद आलम ने 'खतरा मोल लो (लिव डेन्जरसली)' का नारा दिया था, जिसकी हजारों प्रतियाँ छपवाकर दिवारों पर चिपकाई गई थीं।[2]

***सहायक प्राध्यापक, (Guest Faculty) इतिहास विभाग,, एम.पी.एस. साईंस कॉलेज, मुजफ्फरपुर**

आयोग के आगमन के कुछ दिन पूर्व पटना में एक प्रादेशिक सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी दलों के लोगों ने आयोग के बहिष्कार का निर्णय किया। तत्पश्चात् अली इमाम के सभापतित्व में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जहाँ आयोग का बहिष्कार–संबंधी एक प्रस्ताव पारित हुआ।

9 दिसम्बर को पटना के प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार के कोने–कोने से लोग उपस्थित हुए। अनुग्रह नारायण सिंह इसके सभापति तथा सच्चिदानन्द सिन्हा स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू तथा गोविन्दवल्लभ पन्त पर ढाए गए पुलिस के जुल्म से आम जनता काफी उत्तेजित थी तथा लोग पटना की तरफ बढ़ आए। 11 दिसम्बर को शाम तक इतने लोग इकट्ठे हो गए कि लगता था कि सोनपुर मेला का दृश्य उपस्थित हो गया था। उसी दिन संध्या को सच्चिदानन्द सिन्हा के घर पर राजेन्द्र प्रसाद तथा पुलिस महानिरीक्षक स्वेन ने शान्ति तथा सुव्यवस्था के ख्याल से यह समझौता किया कि आयोग का स्वागत करने वाले तथा विरोधी अलग–अलग खड़े रहेंगे।[3]

साइमन आयोग के साथ–साथ एक हिन्दुस्तानी समिति भी थी, जिसे सरकार ने देश की भीषण परिस्थिति को देखते हुए बनाया था। बिहार में दोनों समितियों का बहिष्कार हुआ। ''उठो नौजवानों सबेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ'' के नारों से सारा वायुमण्डल गूँज उठा था। प्रदर्शन का नेतृत्व राजेन्द्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, राम दयालु सिंह तथा श्रीकृष्ण सिंह आदि नेताओं ने किया। युवक संघ के सदस्य सुबह तक जागे रहे, जबतक कि आयोग आ न गया। करीब 30,000 लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया तथा 'साइमन वापस जाओ' के नारे लगाए। यद्यपि सच्चिदानन्द सिन्हा साइमन आयोग के बहिष्कार के पक्षपाती थे, फिर भी उन्होंने श्री शंकर नायर तथा भारतीय समिति के अन्य सदस्यों को अपने घर भोज पर आमंत्रित किया। पटना का यह प्रदर्शन पूर्णतः शान्तिपूर्ण था। बिहार के भिन्न–भिन्न स्थानों पर विरोध सभाओं का आयोजन किया गया । चम्पारण जिला में अनेक स्थानों पर साइमन कमीशन के विरोध में सभायें हुई।[4]

उपरोक्त संदर्भ में ध्यान देने योग्य है कि इसी कड़ी में 29 नवम्बर, 1928 को बिहार में लाला लाजपत राय दिवस मनाया गया। जिसमें लगभग 30 अभिजात वर्गीय कांग्रेस कर्मियों ने एक जुलूस निकाला। सायंकाल हुई जनसभा को अभिजात वर्गीय नेताओं में सर्वश्री हरवंश सहाय, एम.एल.सी. एवं विश्वनाथ सिंह, जोगापट्टी सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। उक्त सभा में लाजपत राय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बिहार के अभिजात वर्गीय नेता विश्वनाथ सिंह ने शोक प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने पुलिस ज्यादती और लाठी प्रहार से लाजपत राय की मृत्यु होने पर रोष प्रकट करते हुए इसका प्रतिरोध हिंसात्मक ढंग से करने को कहा।

यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी बैठक कलकत्ता में 3 जनवरी, 1929 को की, जिसमें गाँधी जी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर खादी अपनाने की योजना रखी। कार्य समिति की दिल्ली में हुई अगली बैठक दिनांक 17 से 19 फरवरी, 1929 में इसको स्वीकृति प्रदान की गयी। इस योजना के क्रियान्वयन से बड़ी संख्या में अभिजात वर्गीय परिवारों के सैकड़ों युवक–युवतियाँ स्वयंसेवक के रूप में निकले और घर–घर जाकर बड़े परिवारों से विदेशी कपड़ा इकट्ठा करते और खद्दर का कपड़ा बेचते या फिर उनकी माँग की सूची लेते जिनकी आपूर्त्ति बाद में करते, जिस पर अखिल भारतीय बुनकर समिति का ठप्पा मूल्य के साथ लगा रहता था। वे लोग विदेशी वस्त्रों का पूर्ण बहिष्कार करने का प्रचार करते तथा जो विदेशी वस्त्र इकट्ठा करते उन्हें सार्वजनिक स्थलें पर जलाते थे।

महात्मा गाँधी ने 4 मार्च, 1929 को श्रद्धानन्द पार्क, कलकत्ता में विदेशी वस्त्रों की थैली जलाई जिसके कारण उन्हें गिरतार किया गया और एक रूपये का जुर्माना लगा। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते बिहारवासियों को प्रत्येक रविवार को सप्ताह भर में संग्रहित विदेशी वस्त्रों को जलाने का निर्देश दिया, जिसमें अभिजात वर्गीय परिवार के हजारों युवक–युवतियाँ विदेशी वस्त्र घर–घर जाकर जलाने के लिए इकट्ठा करतीं। चम्पारण में चूँकि कांग्रेस का संगठन थाना स्तर तक था इसलिए वहाँ कार्यक्रम को बहुत ही प्रभावी ढंग से चलाया गया। प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति ने 17 मार्च को प्रान्त भर में विदेशी वस्त्र सार्वजनिक स्थलों पर जलाने का निर्देश दिया, जिसे चम्पारण जिला के शहरों, बाजारों तथा गाँवों में बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं के साथ अभिजात वर्ग के नवयुवकगण खद्दर के प्रचार–प्रसार और घुमा–घुमाकर बेचने में बहुत सहयोगी रहे।[5]

1929 के अन्त तक सारे देश में स्वतंत्रता की अदम्य तृष्णा जागृत हो चुकी थी। गाँधी जी की अगुआई में सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरंभ होने से 1930 का वर्ष देश के इतिहास में 'सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ष' साबित हुआ। असहयोग आन्दोलन के पश्चात् महात्मा गाँधी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन का सूत्रपात किया, जिसका प्रारंभ नमक सत्याग्रह से हुआ। सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रस्ताव दिसम्बर, 1929 ई0 के लाहौर कांग्रेस में पारित हुआ, जिसके सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर अधिवेशन में 'पूर्ण स्वतंत्रता' का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस सदस्य भावी चुनावों में भाग न लें तथा केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान मण्डलों से त्याग–पत्र दे दें। अधिवेशन ने भारतीय कांग्रेस कमिटी को

समयानुकूल सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया तथा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय किया गया।

बिहार प्रदेश कांग्रेस ने 20 जनवरी, 1930 को 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने हेतु कमिटी ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रचारित किया।[6]

1. सभा स्थल पर ठीक आठ बजे प्रातः राष्ट्रीय झंडोत्तोलन करना तथा सायंकाल में सभा समाप्ति के तुरन्त बाद झंडा उतार लेना।
2. प्रातः झंडोत्तोलन के पश्चात् जनता निम्न कार्यों में से किन्हीं एक में बिना एक क्षण गवाएँ लग जायः
   - (क) यथासंभव अधिकाधिक घरों में जाकर कांग्रेस के प्रस्ताव को समझाना तथा 1930 के लिए सदस्य बनाना।
   - (ख) खद्दर की फेरी।
   - (ग) चर्खा चलाना।
   - (घ) स्वयंसेवक बनाना। उन्हें आदतन खादीधारी होना चाहिए तथा कांग्रेस के शपथ (प्रतिज्ञा) पत्र पर हस्ताक्षर कराना।
   - (ड़) अछूतोद्धार का कार्य अर्थात् इनका मंदिर में प्रवेश दिलाना, कुंओं का स्वच्छन्द उपयोग आदि।
   - (च) नशाबन्दी (मद्य निषेध)
   - (छ) ठीक सयम सायंकाल पाँच बजे सभा करना।
   - (ज) सभा में उपस्थित किसी प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्त्ता द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष का बयान धीरे–धीरे सुस्पष्ट स्वर में उपस्थित आम लोगों को सुनाना। तदुपरान्त हाथ उठाकर उस पर आम लोगों की राय लिया जाना कि कितने लोग उस घोषणा को समर्थन देने का तैयार हैं।
   - (झ) सभा में भाषण नहीं करना।
   - (ञ) सभा में कितने लोग उपस्थित थे तथा घोषणा के पक्ष में कितने लोगों ने हाथ उठाया, सभा के सामान्य परिवेश एवं दिन भर में कितने रचनात्मक (सर्जनात्मक) कार्य किये गये इन सबों की सही–सही रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र पटना प्रांतीय कांग्रेस कार्यालय को भेजना तथा यह भी ध्यान देना कि रिपोर्ट अतिरंजित या अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होनी चाहिए।

लाहौर कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार सम्पूर्ण भारत में 26 जनवरी, 1930 को बड़े ही सुन्दर ढंग से स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम किया गया। बिहार में भी बहुत शानदार तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया । लाखों की संख्या में प्रदर्शन आयोजित किये गये। पूरी गंभीरता के साथ उपस्थित जनों ने स्वाधीनता की प्रतिज्ञा

ली। सरकारी दमन चक्र चलने के बावजूद छात्रों की काफी संख्या में भागीदारी ने इसे और भी गति प्रदान किया तथा जगह–जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए।

इधर लाहौर कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार विधान मंडलों के कांग्रेसी सदस्यों को सदन की सदस्यता का त्याग करना था। इस्तीफा देने के बाद ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति या अन्य निर्वाचित समितियों के सदस्य बने रह सकते थे। अन्यथा अगर कांगेस में भी किसी पद पर जो थे उनसे त्याग पत्र देने का कहा गया। जनवरी 1930 तक बिहार में भी महेन्द्र प्रसाद, शाह मोहम्मद जुबैर और अनुग्रह नारायण सिंह सहित कुछ अन्य लोगों ने राज्य परिषद् की सदस्यता त्याग दी थी। विधान सभा के 10 कांग्रेसी सदस्यों में से मात्र दो सदस्य सिद्धेश्वर प्रसाद और नारायण प्रसाद सिंह ने त्याग पत्र दिया था। बिहार–उड़ीसा विधान परिषद् से त्याग देनेवालों में श्रीकृष्ण सिंह, रामदयालु सिंह, अब्दुलबारी, बलदेव सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय, नंद किशोर दास, नीलकांत चटर्जी, ब्रजराज सिंह, सत्य नारायण सिंह, राजेन्द्र मिश्र, सिद्धेश्वर प्रसाद, राम चरित्र सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, लिंग राज मिश्र, निरसू नारायण मिश्र, गोदावरी मिश्र, ठाकुर रामनन्दन सिंह, गुरु सहाय लाल, हरिवंश सहाय, कैलाश बिहारी लाल, महंथ ईश्वर गिरी, कुमार कालिका सिंह, गिरीन्द्र मोहन मिश्र, शशिभुषण राय, रामेश्वर राय और द्वारकानाथ।

15 फरवरी, 1930 को अहमदाबाद की एक सभा में कांग्रेस कार्य समिति ने महात्मा गाँधी को यह अधिकार दिया कि वे जब उचित समझे सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारंभ करें। गाँधी जी इसकी शुरूआत नमक–कानून तोड़ कर सत्याग्रह से करना चाहते थे। इसके पीछे उनका तर्क था कि नमक पर सरकार का एक तरह से अधिकार हो गया था, जिस पर 5 आना की दर से टैक्स गरीब से गरीब आदमी को भी देना पड़ता है। गाँधी जी के विचार में इस एकाधिकार एवं कर के विरूद्ध सत्याग्रह प्रारंभ करने का विशेष तौर से महत्त्व था। उत्तर बिहार का अपना कोई समुद्री किनारा नहीं था। इसलिए यहाँ लोग सोडा से एक उप–उत्पादन के रूप में नमक थोड़ी–बहुत मात्रा में बनाते थे। राजेन्द्र प्रसाद को नमक कानून भंग करने के कार्यक्रम में विश्वास नहीं था। इसलिए उन्होंने बिहार में कुछ स्थानों पर सोडा से नमक तैयार करने के अतिरिक्त चौकीदारी टैक्स जो लोगों को देना पड़ता था उसे बन्द करने के लिए सत्याग्रह प्रारंभ करने की आज्ञा माँगी लेकिन गाँधी जी ने पहले नमक कानून से ही आंदोलन प्रारंभ करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चौकीदारी–कर पर बाद में विचार करना ।[7]

गाँधीजी ने साबरमती आश्रम से 200 मील दूर समुद्र–तट के दांडी नामक गाँव में नमक बनाकर कानून तोड़ने का निश्चय किया। वायसराय को पूर्वसूचना देने के बाद उन्होंने दांडी के लिये 79 स्वयंसेवकों के साथ 12 मार्च, 1930 ई. को

प्रस्थान किया। उल्लेखनीय है कि 21 मार्च को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक अहमदाबाद में हुई जिसमें कार्य समिति द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। आगे की योजना बनी तथा कांग्रेस अध्यक्ष को व्यापक अधिकार मिले।

24 दिनों का लम्बा सफर तय कर गाँधी जी 5 अप्रैल को डांडी समुद्र तट पर अपने अनुयायियों सहित पहुँचे और नमक बनाकर उन्होंने नमक–कानून भंग किया। पश्चात् उन्होंने वहीं से एक वक्तव्य प्रसारित कर लोगों को बतलाया कि अब नमक–कानून भंग हो चुका है। तथा जो भी आदमी सजा भुगतने के लिये तैयार हो, अपनी सुविधानुसार नमक–कानून भंग कर सकता है।

महात्मा गाँधी के इस वक्तव्य से समस्त देश में नमक तोड़ो आंदोलन प्रारम्भ हो गया। गाँधीजी की घोषणा से बिहारियों में काफी जोश उत्पन्न हो गया। जिनलोगों के लिये दो–चार मील पैदल चलना भी कठिन था उन लोगों ने भी 20–25 मील पैदल चलकर नमक बनाया। महिलाओं ने शराब की दूकानों पर धरना प्रारम्भ किया। गाँजा और ताड़ी की दुकानों पर काफी सफलतापूर्वक प्रदर्शन हुए तथा विदेशी कपड़ों की गाँठें बंधवाई गई। विदेशी कपड़ों का सफल बहिष्कार जितना बिहार में हुआ, उतना किसी भी प्रांत में नहीं हुआ।

बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चम्पारण और सारण में शुरू किया गया। चम्पारण जिला में 13 व्यक्तियों का पहला जत्था बिपिन बिहारी वर्मा, अध्यक्ष, चम्पारण जिला कांग्रेस कमिटी और चेयरमैन, जिला परिषद् की अध्यक्षता में चला। नगर में उस दिन भारी उत्साह था। राजेन्द्र बाबू ने इस स्वयंसेवकों के पहले जत्था को हार्दिक विदाई दी। जत्था जब बेतिया पहुँचा तो उस समय 3,400 स्वयंसेवक बन चुके थे। बेतिया की एक सभा में बिपिन बिहारी वर्मा ने भाषण किया। उन्हें 593 रूपया की थैली दी गई। 15 अप्रैल को चम्पारण जिला के कई स्थानों में नमक कानून भंग किया गया।[8] पुलिस ने विभिन्न थानों के नेताओं को एक ही दिन गिरतार कर लिया। प्रमुख गिरतार लोगों में ये थे– बिपिन वर्मा, शिवधारी पांडे, गणेश प्रसाद साहू, रामदयालु प्रसाद साहु, रामदास प्रसाद आदि। इन सबों को विभिन्न अवधियों की कैद एवं अन्य सजाएँ मिलीं।

पटना जिला के कई अन्य स्थानों पर भी नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। 13 अप्रैल को 11 स्वयंसेवकों का एक जत्था जगतनारायण लाल के नेतृत्व में बिहटा के समीप अमहारा ग्राम में पहुँचा और वहाँ उसने पुलिस की उपस्थिति में नमक बनाया। शीघ्र ही जगतनारयण लाल और दानापुर कांग्रेस कमिटी के सचिव, कीर्त्तिनारायण सिंह को गिरतार कर लिया गया। दोनों को 6–6 महीने कैद की सजा सुनाई गई। नमक बनाने का काम बड़े उत्साह के साथ चलता रहा। इसी

क्षेत्र में स्वामी सहजानन्द ने इसके बाद नेतृत्व ग्रहण किया। उन्हें भी गिरतार कर लिया गया और 6 महीने कैद की सजा दी गई। अमहारा, विक्रम, नौबतपुर, खगौल और दानापुर में नमक बनाने का काम चलता रहा। बाढ़ अनुमण्डल में भी नये केन्द्र खोले गये।

दरभंगा जिला में सत्य नारायण सिंह के नेतृत्व में स्वंयसेवकों का पहला जत्था दरभंगा नगर से 17 अप्रैल को नमक कानून भंग करने के लिए पिपरा के लिए रवाना हुआ। किन्तु एक बड़ी सभा में हार्दिक विदाई के बाद ज्योंही वे दरभंगा से बाहर निकल रहे थे, सत्यनारायण सिंह और श्री रामनन्दन मिश्र को गिरतार कर लिया गया। दोनों को डेढ़ वर्षो की कड़ी कैद की सजा दी गई। इससे जिला भर में उत्साह की लहर फैल गई।

मुंगेर जिला में श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्रवाइयाँ बढ़ रही थी। श्री सिंह उन दिनों प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के सचिव थे। 17 अप्रैल को स्वयंसेवकों का दो जत्था एक बेगूसराय अनुमंडल में गरहरा गाँव के लिए दूसरा सदर अनुमंडल में चौकी गाँव के लिए रवाना हुआ। 17 अप्रैल को श्रीकृष्ण सिंह मुंगेर से गोगरी के लिए 11 सत्याग्रहियों का जत्था लेकर रवाना हुए। बेगूसराय में वे एक रात ठहरे। मंझौल में 11 और स्वयंसेवक उनके साथ हो गए। 20 अप्रैल को कानून भंग करने की तैयारियाँ शुरू हुई और पुलिस के प्रतिरोध के बावजूद दो–तीन दिनों तक चलती रही। पुलिस नमक बनाने का बर्तन और अन्य साज–सामान उठाकर ले गई तथा स्वयंसेवकों पर लाठी भी चलाई। एक पुलिस अधिकारी ने श्री बाबू के साथ भी दुर्व्यवहार किया। गोगरी के एक सत्याग्रही मुरलीधर झा के शरीर का कुछ भाग नमक की कड़ाही की रक्षा करते हुए झुलस गया। 23 अप्रैल को जब श्रीकृष्ण सिंह बेगूसराय ही थे तो उन्हें वहीं गिरतार कर लिया गया और 6 महीने की सजा दी गई। उन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया।[9]

निष्कर्ष

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के मूल्यांकन से पता चलता है कि बिहार के लोगों ने इस आन्दोलन में भारत के अन्य प्रान्तों से आगे बढ़कर काम किया। छविनाथ पाण्डेय ने लिखा है, ''1930 ई0 और 1932 ई0 के आन्दोलनों में बिहार की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है इसने अपनी खास डाक जारी की। नियमित रूप से साप्ताहिक डाक प्रान्तीय कांग्रेस कार्यालय में आती रही और वहाँ से भी सर्वत्र आदेश जाते रहे। साप्ताहिक और पीछे पाक्षिक बुलेटिनें भी नियमित रूप से निकलती रहीं। प्रान्त की बुलेटिनें अलग थीं, जिलों की अलग और थानों की अलग। यहीं की कांग्रेस को इस बात श्रेय था कि उसने सस्ते साइक्लोस्टाइल बनाना भी शुरू किया। प्रान्त के जिलों और थानों के सिवा अन्य प्रान्तों को भी इसने

साइक्लोस्टाइल दिए। अखबारों के मुँह बन्द रहते हुए भी इन बुलेटिनों के द्वारा आन्दोलन–संबंधी और पुलिस के अत्याचारों के समाचार नियमित रूप से लोगों को मिलते रहे।..... बिहार के लिये यह अभिमान की बात है कि सारे हिन्दुस्तान में यही एक प्रान्त था, जहाँ का कांग्रेसी संगठन टूटने नहीं पाया। आदि से अन्त तक संगठन का सूत्र बराबर दृढ़ता से कायम रहा।''

संदर्भ

1. डॉ. के.के. दत्त, बिहार में स्वातंत्रय आन्दोलन का इतिहास, भाग–3, पटना, 1998, पृष्ठ–38
2. उपरोक्त
3. उपरोक्त
4. मणिन्द्र नारायण राय, 'दि अवेकेण्ड सोल ऑफ बिहार', इण्डियन नेशन, 28 सितम्बर, 1964
5. उपरोक्त
6. राजेन्द्र प्रसााद, पूर्वोक्त, पृष्ठ–302–303
7. अनुग्रह नारायण सिंह, पूर्वोक्त, पृष्ठ–130
8. मणिन्द्र नारायण राय (1964)
9. उपरोक्त